(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 1999, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th December, 1999."

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

Sir, I lay a copy of the Vice-President's Pension (Amendment) Bill, 1999, on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION

National Telecom Policy - 1999 -Contd.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): The other day, I was pointing out in this House, the governance by the Task Force. So, as it appears, presently, there is a great confusion so far as the present policy is concerned. It is in a mess. So, I want to know from the Government very clearly. Already a National Task Force on Information Technology and Software Development is there. What are the recommendations that have been made earlier? The other thing is, Mr. Vice-Chairman, Sir, an Inter-Ministerial Committee has also been set up for monitoring communications. There is some doubt in it. I want to know very clearly from the Government with regard to the telecom strategy. What is the strategy they are having? The other thing is, it created a new legal framework, because the Indian Telegraph Act, 1885, as stated, was an old Act and it needed further amendments. So, I want to know from the Government, what the amendments that you want to bring so far as this infrastructure is concerned are, in order to overcome all the mess?

It is good to note that our hon. Minister has stated that in order to improve the infrastructure the World Bank, ADB, ITU and the UNESCO have been requested to fund it. So, I want to know from the hon. Minister as to what actually the amount will be that we are going to get and how it is going to be utilised keeping in view the confusion and controversy that is going on between the DoT and the TRAI. Firstly, I would like to know from the hon. Minister something about the tariff structure and , secondly,

the service standards. Sir, these are some of my submissions. Thank you, Sir.

SHRI DRUPAD BORGOHAIN (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, the House is discussing a very serious matter relating to the latest Policy of the Government on telecom. This policy was adopted on 26th March 1999. By this Policy, I think, the Government is opening up the telecom system to the private sector, particularly to indigenous and foreign companies, and that too at the dictates of the WTO, IMF, World Bank, etc. The Department of Telecommunications has been bifurcated. Sir, it is a very serious matter because in the near future, if this policy of opening up is allowed to continue, our whole telecom system will be under foreign domination at a certain point of time. Is it not a serious matter? We oppose it. Secondly, let us take the case of licensing regime system. It has been changed into an income or profit or revenue sharing system. What will be the result? The result will be a huge loss to the revenue of the Government. It will be a huge loss of thousands of crores of rupees, which could have been gained by the Government in the normal process from the licensees. The Government is going to lose that revenue. What was the sense in changing from the licensing regime to the revenue sharing system? As regards the payment of arrears, certain conditions were stipulated through which certain concessions were granted. Why should the Government lose such a huge amount? That is our question. Therefore, we oppose this also. Thirdly, now it is known that the Government is going to allow private companies for carrying national telecom service. The national cellular service run by private companies will not help the people of the country because they escalate the price, which will harm the interests of the consumer. The Government will lose revenue, the consumers will be looted and the villagers will be the casualty. Some reports appeared in the Press that the private companies would take 49 per cent of shares. This will lead ultimately to the take-over by foreign companies. This is the first step towards the domination of our telecom system by the foreign companies and in the long run these foreign companies will take over the telecom business. That will be very, very harmful for our national interests. So, Sir, in the greater interest of the nation, the Government should revise this Policy and revise the decision of opening up of telecom service to the private companies. Sir, we oppose this Telecom Policy of the Government strongly. I hope our

Minister will rethink and review this Policy in the greater interest of the nation. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Vayalar Ravi.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I may be permitted to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : You had taken your time.

SHRI KAPIL SIBAL : Sir, I did not have the time to cover all my points. I left so many points. So, I may be permitted to speak. If you allow me, I will submit the left out points *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, I have no, objection to his speaking again.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR): There are others. Do not allow him to regulate himself.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, if the other two speakers do not come, please allow me another ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have already exceeded the time allotted to you.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I spoke only for twenty minutes. There were thirty-eight minutes for my party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I will see. Mr. Virumbi. Are you doing it at your cost?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are now discussing about the National Telecom Policy. Some of our colleagues said that it was conceived in 1994. But, according to my perception, the policy was, actually, conceived in 1974 itself when the P & T was divided into two departments - Posts and Telecommunications. Sir, in 1974, the department was bifurcated into two groups. In 1984, the Department of Telecommunications, instead of developing their productivity and thereby, increasing the profits, had tried to achieve that through increase in rental call charges, lease charges, application deposit and through other things. In 1984, there was a move for

corporatisation. When it was separated in 1974, the reason attributed was that they had earned through telecom and had to shell out to the Department of Posts. When the issue of corporatisation had come up, the bureaucrats from the Department of Telecom itself opposed under the guise that once it was corporatised, even on the amount that has been given to the Department of Posts as subsidy, they might have to pay the income tax. Therefore, if it is corporatised, we would not get any profit. In that way they had built up their argument. What for has this argument been given? They do not want to give up their positions, power i.e., gazetted officer status, and other things. In spite of it, in April, 1986, it was corporatised in a very small way i.e., VSNL and MTNL. The former Overseas Communication Services was corporatised as VSNL. The current situation is, we have got 2.9 lakh villages. Even the National Telecom Policy says about provision of Internet access to all the district-headquarters by 2000 and a telephone connection, on demand, in rural and urban areas by 2002. But the real situation is we compare ourselves with Malaysia where 2.3 million telephone users are there. In Philippines, which is smaller than our State, 1.8 million telephone connections are there. In India, with more than one billion population, what are we having? This you will know if you compare ourselves with China. In China 20 million new fixed telephone line connections are being provided every year. Sir, in China, 12 million cellular telephone connections are being provided to the people. That means, one million cellular telephoneconnections are being provided every month. But the whole strength of the cellular telephone connections in India is only 1.3 million. It is less than Philippines and it is less than Malaysia. So, don't compare ourselves with China. This is the situation. If this is so, how can we compete with others? Here, the licensor and the competitor is the same - the Government - maybe, with different names. The Government is playing the dual role. If you came down further, we have the Telecom Commission.

The Telecom Commission wanted to expand it further. When this move was taking place, there was a resistance from the Department of Telecom itself. First they thought that the Ministry of Finance, the Department of Electronics, and the Planning Commission have to be included in the Commission. So, there was a heavy resistance from the department. Now, what is the situation? This is nothing but inner politics between the Commission and the TRAI. We have accepted the truth. So

inner politics is going on between the Telecom Commission and the TRAI. Ultimately, it is going to make the people of India suffer more. Now, they have announced the new policy of 1999. Whatever the policy may be, once a policy has been announced, it should encourage productivity. That policy should be competitive in such a way that the people are benefited. Whether it is going to achieve that or not, we have yet to see. Recently, when this policy was announced, there were three dissent notes. The recommendations were made by the TRAI. It was opposed by three membersShri U.P. Singh, Shri Ajit Singhla, and Shri R.N. Prasad.

Now, I come to the change from revenue share arrangement to the licence fee arrangement. What they have sought now is that, if anybody once enters the telecom field, for their assets, their operators, their service-providers, they may have to pay, first, about Rs. 100 crores which will be non-refundable. Apart from that, they have to give Rs. 400 crores as security. It may be withdrawn in case they close down their business. Thirdly, they must have a net worth of about Rs.2,500 crores. So, they cannot run away from India, as somebody might have presumed. They cannot run away. Fourthly, apart from all this, they must have the experience. Then, what is the problem? The problem is that it should be recommended by the TRAI. Provisions and guidelines have been made by the Telecom Commission. This is the problem. There is a conflict between the TRAI and the Commission. The TRAI feels that less than 5 per cent is enough, while the other feels that it is not enough. They feel that it should be 16 per cent. On what grounds? We have to elicit. So far, we have not been enlightened in this regard. Why are they demanding 16 per cent instead of 9 per cent or 5 per cent. They have yet to inform it.

Then, my next point is regarding the tender. The TRAI goes in for a tender, but there have been dissent notes, so far as open bid is concerned. But I feel it is a transparent bulb. The Minister should apply his mind as to which would be better for our people. I feel that transparency means transparency in every field. Not only transparency, the right to information should be included along with this. I would like to know on what grounds they have set the percentage that the people should pay. For example, if a man makes a telephone call from a basic telephone a cellular phone, the DOT will have to pay 72.5 per cent or 72.7 per cent to the cellular company. But, at the same time, if a man contacts through his cellular telephone to a basic telephone, then the cellular company will have to pay

less than 25 per cent to the DOT. Why this discrimination is there? How has this happened? Is there any rationale behind this decision? The Minister, while giving the reply, may give some information on this. Sir, the main problem that we are confronted with in India is one of divergence in views. That is the main thing. I feel, the talks you have had with the TRAI as well as the Commission and the service providers, are not enough.

Sir, one more meeting or two more meetings, as you may feel necessary, should be there in order to clear the divergent views between the TRAI, Service providers and Department of Telecommunications. Even what is available in India or what is available internationally is not being provided to the Indian people. For example, the voice over internet telephoning -- if it is allowed, if it is not banned -- is not provided to the Indian people. Sir, I feel, even the STD charges or the ISD charges will be equivalent to the local calls. Why has not the ban been lifted? Is it going to affect the Indian people or is it going to affect the DoT or the Government? Sir, on this the hon. Minister has to give some sort of clarification. Another thing is that this cellular facility should also be provided in our villages. The people who have accepted the contractual obligations, have not fulfilled the same. They have given so many reasons for this. But whatever reasons they are giving, are they being attended to by the Government? Sir, one thing is certain that wherever it is profitable, these cellular operators desire to enter into, but whenever they are wanted in the service line, they do not want to enter. What does this mean? Now, how are you going to bind these cellular operators after this new telecom policy is announced? If they go in the same way in which they have gone earlier, what action are you going to take? How are you provided with powers to prevent all these things? We want a clarification from the Government on this. Sir, recently with Canada we have made some agreements for the optic fibre and virus system. I feel, Sir, competition is necessary. I do not think that there should be either public sector or private sector. Competition should be there. For example, M.T.N.L. and V.S.N.L. are there in the telecom sector. Now, in the internet services, when M.T.N.L. reduced the charges by 15%, immediately the V.S.N.L. also comes with a reduction of 15%. Therefore, competition is essential. But, competition should not be at the cost of the nation. Sir, the hon. Minister is more national-minded than I am, and I hope he will look into it. The other thing is about C.C.P. In Italy, for the people who are opting for cellular phone, for eleven months the cellular operators

are not charging anything from them. But, if we take the cellular phone here, in the first month itself, we have to pay at least about Rs. 500/- to Rs. 700/-. Therefore, the celluar licensing system, the revenue sharing system should be looked into properly. I feel the Government should take into the account the feelings of the public. Sir, the Department of Telecommunication can provide more and better service if they look after their staff properly. Sir, due to the time constraint, I do not want to lengthen my speech. But one thing I want to say. For example, for some eight, ten or twenty years, the DoT sought a ban on recruitment of staff, and they appointed thousands of people under the caption 'Reserve Trained Pool (R.T.P.)". These R.T.P. people served the Department for 5 years, 10 years. After they have been taken as permanent staff, the service which these people had rendered as R.T.P. employees, has not been included in the original service. Sir, it is going to affect them in future at the time of their retirement. They are asking for 'C' grade, which has not been considered. I hope the hon. Minister will note down the R.T.P. issue. The R.T.P. issue related to the Postal Department is there. The R.T.P. issue related to the Telecom Department is also there. Sir, my demand is that the service wh ich these employees -- who are now permanent employees -- had rendered as R.T.F. employees, should be included in their original service.

That is my demand. If it is done automatically, they will have a sense of security that the Department is looking after them. Sir, I am telling you all the things that I feel. There are one or two things more; not much. They say that they will provide Internet access to all district Headquarters. They say that telephones will be provided on demand both in urban and rural areas by 2002. What are they going to do?

Now, the TRAI's position is that it can be provided to everyone who applies for it provided the norms are fulfilled. The Commission's position is that not more than three will be provided with it. This is the position of the Government, the DoT also.

The TRAI's position is that there will be immediate market access to them. Another position is that these three operators should be only for five to seven years. This is the Commission's position. This conflict is not between Parliament and the DoT. This is not a conflict between the House and the TRAI. But it is a conflict between the TRAI and the Commission.

They have to settle it. That means, out of court. The hon. Minister has called all the people. He had talks with them. I hope that a proper and justifiable settlement will take place and that, thereby, the people will get what they ought to get.

With these words, I thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you, Mr. Virumbi.

Mr. Margabandu not present.

Mr. Balwant Singh Ramoowalia not present.

Mr. Gandhi Azad not present.

Mr. Minister.

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : सर, मैं सर्वप्रथम आपको और सभी माननीय संसद सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सदन में उठाने का काम किया ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं स्वयं भी चाहता था कि इस पर डिस्कशन हो और इसलिए उस दिन क्वेश्चन ऑवर में जब सारी बातें चलीं तो मैंने कहा था कि यदि आप डिस्कशन करना चाहें तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हमने यह बात जरूर कही थी कि जो कोर्ट का आदेश था, जो अंतरिम आदेश था, जिसकी आपने चर्चा की, उसमें यदि आप देखेंगे तो कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आप इसका एप्रूवल दें, बल्कि कोर्ट ने कहा कि यदि संसद चाहे तो डिसएप्रूव कर सकती है । हमारे सिब्बल साहब वरिष्ठ वकील हैं और काफी तजुर्बेकार हैं, वे जानते हैं कि हमेशा जो कोर्ट की लेंग्वेज होती है, उसका एक-एक शब्द बहुत मीनिंग रखता है। यदि वह सरकार को कहती कि जो नई टेलीकॉम पॉलिसी आपने 1999 में बनाई है, उसका एप्रूवल लेना है, तो यह सरकार की जवाबदेही थी । हमको उन्होंने यह कहा कि आपने जो ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु (पशिचमी बंगाल): हमारा विवाद इस बात के लिए नहीं है, हमारा विवाद इस बात के लिए था कि अगर पटल पर नहीं रखते तो जो कानून यहां पर है उसके तहत डिसएप्रूवल मोशन लाना संभव नहीं था ।

श्री रामविलास पासवान : मैं आ रहा हूं उस बात पर । उन्होंने हमें कहा था कि मंत्रि-मंडल, जो पुराना निर्णय है, यदि चाहता है कि यही निर्णय रहे, सरकार की वही पॉलिसी रहे तो फिर सरकार को अपने मंत्रि-मंडल में उसको दोबारा पास कराना चाहिए और पहली केबिनेट की मीटिंग में ही हमारी सरकार ने, जो पहले का हमारा निर्णय था, उस पर अपनी मोहर लगा दी । जहां तक सवाल है डिसएप्रूवल का या एंप्रूवल का, मैंने उस दिन भी कहा था और, सर, यदि आप कोर्ट के आदेश को देखेंगे तो उसमें भी लिखा है कि लोक सभा चाहे तो इसको डिसएप्रूव कर सकती है । आप जानते हैं मेरी मंशा कभी भी संसद की अवहेलना करने की नहीं है और मैं हमेशा पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कोर्ट ने लिखा कि यदि लोक सभा चाहे तो इसको डिसएप्रूव कर सकती है । शब्द 'लोक सभा' है, शब्द पार्लियामेंट भी नहीं है, शब्द राज्य सभा भी नहीं है । लेकिन मैंने उस दिन भी बतलाया था कि आप यदि देखेंगे तो संसद का जो सत्र चला था वह पहले 22 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चला था और फिर 12 अप्रैल को वह दोबारा शुरू हुआ और जैसा कि आपने बतलाया कि नई टेलीकॉम पॉलिसी 26 मार्च को लागू करने की घोषणा की गई और उस समय संसद का सत्र नहीं था, इसलिए 1 अप्रैल को 5 कापी लाइब्रेरी में रखी गईं, लोक सभा सचिवालय में 500 कापी रखी गईं, राज्य सभा में 250 कापी रखी गईं और 20.04.1999 को इसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखने का काम किया गया । इसलिए यह कहना कि संसद की अवहेलना हुई है, यह ठीक नहीं है । हम लोग 1977 से संसद सदस्य हैं, उससे पहले 1969 में एम.एल.ए. थे, हम चाहे इस पक्ष में रहें या उस पक्ष में रहें, कभी सात जन्म में भी संसद की अवहेलना के बारे में हम सोच भी नहीं सकते ।

आपने 'ट्राई' के संबंध में कहा, 'सी.ए.जी.' के संबंध में कहा, 'ट्राई' हो, 'सी.ए.जी.' हो, कोई हो, लेकिन यह जो हमारी संस्था है, पार्लियामेंट है और जो पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी है, यह सबसे सर्वोच्च है। यही पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है जो सारी खामियों के बावजूद इस देश में अभी तक जनतंत्र को कायम रखे हुए है । इसलिए कहीं भी सरकार द्वारा या एक मंत्री के रूप में मेरे द्वारा, संसद की अवहेलना का कोई प्रश्न ही

नहीं उठता है । इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी चेयर का आदेश होगा, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां इस विषय पर डिस्कशन हो रहा है ।

महोदय, नीलोत्पल बसु जी ने एक और मुद्दा उठाया था । इन्होंने कहा कि प्राइवेट सैक्टर को क्यों लाना पड़ा। मुझे खुशी है कि सिब्बल साहब ने इसमें इंटरवीन किया और बतलाया कि जो हमारी पालिसी थी, 1994 की बात आपने कही, उस पालिसी को हम ऐचीव नहीं कर पाए । महोदय, आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि यह अकेले सरकार के बलबूते की बात नहीं है । आपने कहा कि टेली-डेंसिटी कितनी है । अमरीका को आप ले लीजिए तो अमरीका में 66 परसेंट है । जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सबकी टेली-डेंसिटी 50 से ऊपर है । यानी वहां 100 लोगों में 50 के पास टेलीफोन हैं । हमारे पास कितने हैं ? हमारे पास 100 में से 2.4 के पास हैं । ग्रामीण इलाकों में चले जाइए तो 100 में से 0.6 के पास हैं ।

महोदय, यदि हमने यह टारगेट रखा है कि 2005 तक हम 100 में से 7 लोगों को टेलीफोन देंगे और 2010 तक हम 100 में से 15 लोगों को टेलीफोन देंगे तो हम कहां से लाएंगे यह 70,000 बिलियन डॉलर ? कहां से लाया जाएगा यह पैसा ? कैसे हम यह टारगेट पूरा करेंगे ? हमने कहा है कि हम हर गांव में 2002 तक एक टेलीफोन की व्यवस्था करेंगे । उसके लिए भी 2,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । तो क्या अकेले अपने बलबूते पर सरकार यह काम कर सकती है ? इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें हम निश्चित रूप से कहीं भी डिफेंसिव नहीं हैं । सरकार की नीति है कि हर तरफ से हम मदद लेने का काम करेंगे - चाहे प्राइवेट सैक्टर हो, चाहे फॉरेन इन्वैस्टर हो ।

महोदय, किसी साथी ने कहा कि हम विदेशियों के हाथों अपने देश को बेच रहे हैं । सरकार की पालिसी है कि 49 परसेंट शेयर देगी । तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि उनके हाथों बिक जाएंगे ? महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा इस बात को नहीं दोहराना चाहिए कि हम जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हम तो बड़े राष्ट्रभक्त हैं और जो प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं, वे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं । यह जो हमारी

मैंटेलिटी बनी हुई है, इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सैक्टर का सवाल है, बी.आई.सी.पी. जो है यानी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स ऐंड प्राइसेज, यह एक सरकारी संस्था है । इसने ऑपरेटर्स के मामले का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डिमांड कम होने के कारण, भारी लागत होने के कारण, ऑपरेटर्स की स्थिति अच्छी नहीं है ।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order. The Minister is misleading the House.Can I read out the report of the B.I.C.P.?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Please, don't interrupt.

श्री रामविलास पासवान : आप हर बात पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्यों खड़ा करते हैं ?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I can raise the point of order, because the Minister is misleading the House.

SHRI RAM VILAS PASWAN : If I am misleading, the Member has got the right to bring forward a privilege motion against me, but let me continue. I can raise my point of order. Shall I read out from the BICP report?

THE VICE -CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Let him complete and let him conclude. Then, I will hear you.

SHRI NILOTPAL BASU : Under the rules, can I draw the attention of the House to the fact that he is misleading the House because the BICP report says something else?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Will you kindly hear me? If you have some points....

SHRI NILOTPAL BASU : Sir, I seek your protection. If I feel the Minister is misleading the House...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : There is no question of resiling from the statement. If it is a point of order validly raised, I will consider it at the end.

SHRI NILOTPAL BASU ; Shall I read out?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : No. Not now. Afterwards.

SHRI NILOTPAL BASU : But he is misleading. The BICP report says something else.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You have made your point. I will hear you at the end of his speech.

SHRI NILOTPAL BASU : Okay.

सर, मैं यह कह रहा था कि सरकार की जो नीयत है, जब हम बॉडी का ऑपरेशन करते हैं, तो बॉडी में मांस रहता है तभी तो हम ऑपरेशन करेंगे। सिर्फ हड्डी रहे तो ऑपरेशन कैसे होगा? उसी तरह से देश की जो हालत है, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और खास करके 1994 तक हम जिस मोड़ पर पहुंच गए थे, उस परिस्थिति में सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हम इसमें प्राईवेट वालों से भी सहयोग लेने का काम करेंगे। अब बार-बार एक ही बात को कहा जा रहा है कि इसमें 50 हजार करोड़ का मुनाफा होता। अब मालूम पड़ा है कि 50 हजार करोड़ का घाटा होने वाला है। कहां से 50 हजार करोड़ का मुनाफा हो रहा था, कहां हो रहा था, कौन दे रहा थे पैसा? अभी तो कम से कम उन्होंने 35 परसेंट दे दिया -177 करोड़ दे दिया और उसके बाद...(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु : 117 करोड़।

श्री रामविलास पासवान : आप नोट करते जाइए न, मैं 177 कहता हूं आप 117 कहते हैं। तो आपको पूरा अधिकार है कंट्राडिक्ट करने का। तो 177 करोड़ उन्होंने दे दिया। अभी जो रेस्ट अमाउंट है 1800 करोड़ का, उन्होंने कहा है कि हम करने का काम करेंगे। अभी तो मान लेते हैं कि आ रहा है लेकिन उस समय तो उन्होंने सीधे हाथ उठा दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में मामला ले जाइए, कहीं जाइए, लड़िए लेकिन जो हमारा टारगेट है, -क्यों नहीं 77 तक टारगेट पूरा हो पाया? जो बात आप कह रहे हैं 77 तक छः लाख सात हजार गांवों में टेलीफोन का लक्ष्य रखा गया था, क्यों नहीं पूरा हो पाया? आज भी मैं कहता हूं कि यदि हम हर तरफ सहयोग लेने का

काम नहीं करेंगे तो आज भी हम टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिब्बल जी ने सही कहा कि जो उदारीकरण की नीति है उस उदारीकरण की नीति के तहत जो प्राईवेट सैक्टर को लिया गया था उस प्राईवेट सैक्टर को लेना जरूरी था। हां, उन्होंने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि साहब, आपने मेट्रो वालों को क्यों दे दिया, जो मुनाफा कमा रहे थे उनको ही आपने क्यों दिया? आप जानते हैं कि मेट्रो वाले का भी लाइसेंस तीन साल के बाद बढ़ने वाला था। वही हालत होने वाली थी, छः हजार प्रति सब्सक्राईबर कर दिया था। यदि छः हजार प्रति सब्सक्राइबर पर करते तो भी हाथ उठाने वाले थे। जो पौलिसी होती है वह पौलिसी रन्दा के समान होती है। जब पौलिसी बरमी के समान होना शुरू होती है तो फिर वह पौलिसी नहीं रह पाती है इसलिए जो भी पौलिसी एक बार सरकार ने बना दी है वह रन्दा के समान है कि चलो ठीक है, चाहे मेट्रो वाला हो, चाहे वह सर्किट वाला हो। एक पौलिसी बना दी गई है। हमारा मेन लक्ष्य है, आपने ठीक कहा है, बसु साहब, आप एक ही बात को पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बोलते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारा टेली डेंसिटी कम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल स्टेंडर्डाइज हो, वर्ल्ड क्लास का स्टेंडर्डाइज हो, गांव-गांव में हमारे यहां टैलीफोन का विकास हो। कौन गांव में जाना चाहता है? आपने ठीक कहा है गांव में कौन जाना चाहता है। इसलिए हमने प्राईवेट ऑपरेटर हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं, एक कमेटी हमने बनाई है। सेल्युलर ऑपरेटर का काम गांव-गांव में जाने क नहीं था। गांव में जाने का काम बेसिक ऑपरेटर को दिया गया था और उस बेसिक ऑपरेटर से हमारी बैठक भी हुई है, हम लोगों ने बुलाया । उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू शेयर का मामला आया है उससे हम लोगों का बहुत ही हौंसला बढ़ा है और हम लोग गांव की तरफ भी काम करेंगे और उन्होंने वायदा भी किया है। इसलिए हमारी जो प्रेक्टिकल एप्रोच है, जो व्यवहारिक एप्रोच है हम उसको रख करके काम कर रहे हैं। पुराने समय में टेलीफोन लगे। मार्स सिस्टम आया। मार्स सिस्टम मार खा गया। हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहते कि मार्स सिस्टम में क्या था। उस समय वही टेक्नॉलोजी थी, इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया। आज हमारे सामने नई

टेक्नॉलोजी का विकल्प खुला है, हम नई टेक्नॉलोजी ला रहे हैं। आज हमारे राज रेड्डी साहब आए थे। हमारी उनसे बात हो रही थी। अभी हम अरुणाचल प्रदेश गए थे। विदेशों में हमारे जो जानकार लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जो साईंटिस्ट लोग हैं, तो दीया तले अंधेरा हो रहा है। हमारा नौजवान -22 साल का, 23 साल का, 25 साल का लड़का पूरे संसार में क्रांति कर रहा है, वह रियाद में जाकर के मिल ऑनर बन रहा है और यहां जब आता है उसकी सारी प्रतिभा आप लोगों के कारण खत्म हो जाती है।....**(व्यवधान)**

जब मैं रेल मंत्री था मैं तब भी कहता था कि कम्पटीशन आने दो, कम्पटीशन आने दो। एक ही चीज को घुमाते-फिराते रहते हो -यह एसोसिएशन वह एसोसिएशन। कम्पटीशन युग में आए हैं, न्यू मिलेनियम में जा रहे हैं। तो न्यू मिलेनियम में जाइए तो हमने तो कहा है हम गांव-गांव तक टेलीफोन की व्यवस्था करेंगे, छः लाख सात हजार गांवों में हमको टेलीफोन लगाना है। मार्च, 2002 तक हम गांवों में टेलीफोन ले जाएंगे चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम ले जाएंगे।

इसीलिए हमने न्यू टेक्नालॉजी के लिए एक बैठक करवाई है। अब सब जगह पर तो हम ऑप्टीकल फाइबर से तो नहीं ले जा सकते हैं। कहां-कहां, क्या और कौन-सी टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। आपको कहीं वायरलैस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहीं वायरलैस लूप लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं सेट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं पर पावर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा हो गया है कि एक ही वायर में, एक ही पावर में कई मिलियन डाटा फीड कर सकते हैं। ये सारी की सारी टेक्नालॉजी आ रही हैं। अब आप कान बंद करके कहे कि हम तो 18वीं शताब्दी में रहेंगे, 15वीं शताब्दी में रहेंगे तो आप रहिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): What happened to this spirit when you opposed the Insurance Bill? What happened then to the spirit which you are exhibiting now?

श्री राम विलास पासवान : हम कह रहे हैं कि हम 2002 ईसवी तक प्रत्येक गांव में टेलीफोन की व्यवस्था करेंगे, मार्च 2000 तक हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेंगे, मार्च 2000 तक जितने भी स्टेट्स हैडक्वार्टर हैं, उनमें हम टेलीफोन ऑन डिमांड लाने का काम करेंगे। इसीलिए हमने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। हमने एडवाइजर की अध्यक्षता में अरबन के कस्टूमर के लिए एक कमेटी बनाई है। हमने उस कमेटी से कहा है कि जो वर्ल्ड क्लास की सर्विसेज हैं, आप उसको देने का काम करिए। हमने ग्रीवेंस सैल बनाया है। हमको यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जितने हमारे आफीसर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको कहा है कि जो नई टेक्नालॉजी है, आप उसका कांफ्रेस वीडियों अपने रूम में रखिए। यहां से आप मानीटरिंग करिए, कौन सीजीएम काम कर रहा है, कौन एसएसए में काम कर रहा है, कौन लुंगी पहन कर घूम रहा है और कौन पैंट पहनकर घूम रहा है। इन सारी चीजों की यहां से बैठकर मानीटरिंग करिए। हम लोग जब सीजीएम की बैठक करते हैं तो एक से एक रिपोर्ट पता चलती हैं। जब हम एसएसए में जाते हैं, गांव में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक्सचेंज बन्द पड़ा हुआ है, मालूम पड़ा कि वहां आदमी का पता ही नहीं है। इन सारी चीजों के लिए - बुद्ध ने कहा कि वीणा के तार को इतना मत ऐंठो कि वह टूट जाए और इतना ढीला मत रखो कि उससे आवाज ही न निकले। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिकल एप्रोच लेने की आवश्यकता है। आपका वर्कर्स के प्रति जो सेंटीमैंट हैं, उससे हम 100 परसेंट सहमत हैं। मैं वेलफेयर मिनिस्टर रहा हूं और हमने इसी पार्लियामेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमैंट, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो, इसका बिल पेश किया था। हम तमाम कम्युनिस्ट फ्रेंड्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि इस बिल को पास करवा दीजिए, इस बिल को पास करवा दीजिए। ये कहते थे कि पहले आंदोलन होने दीजिए, उसके बाद पास करवा देंगे, तब तक वह सरकार चली गई। क्यों नहीं आपने उस समय उसको पास करवा दिया जब 1989-90 में बिल लाये थे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमैंट एज ए लेबर मिनिस्टर। जब हम रेल मंत्री थे तो हमने रेलवे के 57 हजार केजुअल वर्कर्स को परमानेंट नहीं किया था क्या? क्या हमने कुली जैसे आदमी को सुविधा नहीं दी? आज भी कुली,

राम विलास पासवान जिंदाबाद बोलते हैं। आज भी आपके मन में शंका है जो बार-बार कारपोरेशन-कारपोरेशन कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसका ब्यूरोक्रेट विरोध कर रहे हैं। इसका कोई ब्यूरोक्रेट विरोध नहीं कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट विरोध नहीं करता है। यह नेता का पालिटिकल विल होता है। मैंने कई बार कहा कि इस देश में न नेता की कमी है, न नीति की कमी है, सबसे बड़ी कमी नेता की नीयत की है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। जो लोग अपने आप काम नहीं करना चाहते हैं वे ही ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी वही काम करते हैं जो पालिटिकल विल करवाती है। इसीलिए जो हमारी विल है, जो हमारी दृष्टि है वह साफ होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है और हम कहां जाना चाहते हैं। याद रखिए हमेशा सड़क पर वही जानवर मरता है जो निर्णय नहीं लेता है कि लेफ्ट जाए या राइट जाए। वही मरता है। जो सीधा रास्ता दांया या बांया निकाल लेता है, तो वह सरकार में पहुंच जाता है। उधर भी सरकार में पहुंच जाता है और इधर भी सरकार में पहुंच जाता है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाती है।

सर, इन्होंने कहा है कि पीएमओ मानीटरिंग कर रहे हैं, तो पीएमओ इसमें क्या गलत काम कर रहा है। यदि पीएमओ मानीटरिंग करे, ऐक्शन प्लान बनाएं - हम तो चाहते हैं और हर प्राइम मिनिस्टर को आजादी के बाद से चाहिए था कि जिस-जिस मिनिस्टर को चार्ज दिया गया है उस मिनिस्ट्री के लिए एक ऐक्शन प्लान बनाये। उन्होंने कहा कि 97-98 तक हम गांवों में टेलीफोन ले जायेंगे। पूछना चाहिए कि 6 महीने में कितनी दूर तक ले गए, साल भर में कितनी दूर तक ले गए। आप कहते हैं कि पीएमओ मानीटरिंग कर रहे हैं। हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ...**(व्यवधान)**....

श्री नीलोत्पल बसुः आप बताइये कि 6 महीने में कितनी दूर ले गए।

श्री राम विलास पासवान : पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आदमी पार्टी को चुन देता है, पार्टी जो है एमपी को चुन देती है और एमपी प्रधान मंत्री को चुनते हैं। प्रधान मंत्री अपने मन के मुताबिक केबिनेट बनाते हैं । यदि प्रधान मंत्री ईमानदार है तो केबिनेट ईमानदार है और यदि प्रधान-मंत्री

बेईमान होगा तो केबिनेट भी बेईमान होगी । एक आदमी देश में शासन करता है, इसलिए यदि प्राइम मिनिस्टर मॉनीटरिंग करे तो यह बुरी बात नहीं है । हमारे यहां कई कमेटियां बनीं । जी.ओ.टी. कमेटी बनी, जसवंत सिंह जी यहां बैठे हुए हैं । अभी एक कमेटी और बनी है । इसलिए ये सारी की सारी जो कमेटियां हैं, ये एक-दूसरे को एसिस्ट करने के लिए हैं । अब आई.टी. है, इतना बड़ा स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग कितना युटिलाइज़ कर रहे हैं ? स्पेस की 001 परसेंट एनर्जी भी हम युटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं । इनफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, टेक्नालॉजी का डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है - एक तरफ तो आप कहते हैं कम्युनिकेशन 1885 के ऐक्ट के मुताबिक, टेलीग्राफ ऐक्ट के मुताबिक चल रहा है, वायरलेस ऐक्ट के मुताबिक चल रहा है । तो ठीक है, चल रहा है, आपको इसमें क्या आपत्ति है ? 1885 के ऐक्ट के तहत चल रहा है । हां, यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम संशोधन कर देंगे । सरकार को यदि कोई बाधा आएगी तो संशोधन कर देंगे लेकिन यदि सारे के सारे मिनिस्टर्स एक इंटरनल ग्रुप बना कर एक-दूसरे के काम में सहयोग करें और एक-दूसरे को लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करें तो इसमें घाटा क्या है, हमें तो समझ में नहीं आता है ।

फिर इसके बाद ट्राई के संबंध में जो कहा गया, हमें पता नहीं चलता है - एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि ट्राई को बहुत पावर दी गई है, इतनी पावर क्यों दे रहे हैं ? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ट्राई को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते हैं ? ट्राई को आप एक्सप्लॉयट क्यों नहीं करते हैं ? इससे गलत सिगनल जाने का काम हो रहा है। इस तरह दोनों व्यू आए हैं कि एक तरफ ट्राई को मज़बूत करो और दूसरी तरफ ट्राई बिलकुल इंडिपेंडेंट नही होना चाहिए । इसलिए मैंने कहा कि इसके संबंध में हम ज़रूर चाहते हैं कि जो प्राइवेट इनवेस्टर्स हैं, उनके मन में सरकार के प्रति कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए । जो फॉरेन इनवेस्टर्स हैं, वे भी इंडिपेंडेंट रेग्युलेटरी चाहते हैं। इसलिए हम बार-बार सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉंग रेग्युलेटरी के पक्ष में हैं लेकिन स्ट्रॉंग और इंडिपेंडेंट रेग्युलेटरी का मतलब यह नहीं है कि कोई पार्लियामेंट से भी एबव हो जाएगा । उसका भी एक कायदा-कानून है । इसलिए मैंने कहा कि जो प्रैक्टिकल है और जो

कंस्टीट्यूशनल है, जैसे एक सी.ए.जी. का मामला था । सी.ए.जी. एक कंस्टीट्यूशनल बॉडी है ।...(व्यवधान)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : Sir, the Minister is making a distinction between the Parliament and the Government.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, neither is the present Government the NDA Government nor is this the Congress Government. The Government is always Bharat Sarkar, the Government of India.

SHRI C.RAMACHANDRAIAH : Sir, it is the Government which is interfering with the functioning of theTRAI, it is not the Parliament which is interfering with the functioning of the TRAI. It is the Department which is interfering with its functioning.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Please don't interrupt. Let him complete. If it is going to be an argument between the two, it will not serve the purpose.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the Minister is referring to my speech.

SHRI RAM VILAS PASWAN: No, no. I am not referring to his speech. अब जहां तक मंथली रेंट का सवाल है, रूरल एरिया में लो यूज़र और जनरल यूज़र को अलग-अलग रखा गया है । ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम ऑर्डर के मुताबिक जिस एक्सचेंज की 999 तक लाइनें थीं, उन पर 70 रुपए लगेंगे, हमने नहीं लिए । हमने 50 रुपए लिए । उन्होंने कहा कि 1000 से लेकर 29000 तक 120 रुपए लगेंगे, हमने 100 रुपए लिए । इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम भी यहां बैठे हुए हैं । अब ट्राई का काम रिकमेन्ड करना है और यह उनका राइट भी है लेकिन रूरल एरिया में, गरीब के पक्ष में क्या निर्णय लेना चाहिए, वह सरकार की जवाबदेही है कि सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे गरीब पर उसका ज्यादा बोझ न पड़े ।

उसी तरीके से अभी हमारे एक साथी सेल्युलर फोन की बात कर रहे थे । सेल्युलर ऑपरेटर के माइग्रेशन पैकेज की शर्त क्या थी ? माइग्रेशन पैकेज की शर्त थी कि 31.7.99 तक जितनी बकाया राशि थी, उसका 50 प्रतिशत - 15.8.1999 तक भुगतान कर देना होगा और

सबने भुगतान कर दिया । दूसरी थी कि शेष राशि की बैंक गारंटी 30 नवंबर, 1999 तक देंगे । यह सही है कि उसमें कुछ लोगों ने नहीं दिया है, उसके लिए वे हमसे एप्रोच कर रहे हैं कि कुछ समय और दिया जाए और 31 जनवरी, 2000 तक सारी बकाया राशि का भुगतान वे कर देंगे। अपने ड्युओ पोली अधिकार को छोड़ देंगे और प्रत्येक सर्किल में मल्टी पोली रीजन को स्वीकार करेंगे ।

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े मुकदमों को वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे।...**(व्यवधान)**...सर, एक मिनिट...**(व्यवधान)**...उसमें यह बात सही है कि सब लोगों ने शर्त को स्वीकार कर लिया है। कुछ लोगों ने वापस ले लिया है और कुछ लोगों ने अर्जी दे दी है लेकिन इसकी शर्त का कोई विरोध नहीं किया है। मैं यह कह रहा हूं.....

श्री नीलोत्पल बसु : सर, अभी तक कुछ नहीं किया है। देखिए, ये तो गलत बात हो रही है। Sir, I have to raise this point because what he is saying is not at all correct.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): It is clearly established that if the hon. Minister had been in a court of law, he would have been a wonderful lawyer because he has the capacity to talk very glibly on both irrelevant and relevant things.

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): If it is coming from a wonderful lawyer like you, then, it can be taken as a compliment.

SHRI KAPIL SIBAL: I compliment him because he has that fluency and capacity to talk ...*(Interruptions)*... very eloquently and also the ability not to answer any questions. ...*(Interruptions)*.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the only factual thing is that...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Please sit down. *(Interruptions)*.

श्री रामविलास पासवान : सर, सिब्बल साहब तो एडवोकेट हैं, मैं तो एडवोकेट हूं नहीं। लेकिन हमको एडवोकेट कहा है,आप जज हैं।

यदि मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप जजमेंट दें। Out of 21cases, of Basic and Cellular operator 13 cases have been withdrawn. चार केसेज के लिए अर्जी दे दी गई है, विदड्रा नहीं हुए हैं और जो बाकी 3 केसेज पेंडिंग हैं ये माइग्रेशन पैकेज से संबंधित नहीं है। अब बतलाइये कि इसमें मैंने क्या गलत कहा, क्या मैंने गलत तर्क दिया? ये फिर कहें तो मैं फिर बतला देता हूं। यदि फिर भी कल मेरे खिलाफ नोटिस लाना है तो नोटिस दे दीजिए। इसी तरीके से मैंने यह कहा कि पहले के आपरेटर्स की जो अवधि थी उसमें लिखा गया कि इसके अंतर्गत जो शर्त मानेंगे, 1.8.99 से नये रीजीम में प्रवेश करेंगे। उसके बाद इफेक्टिव डेट से आपरेटर्स की लाइसेंस की अवधि बीस साल मानी जाएगी। यह दस साल तक और बढ़ाई जा सकती है। जो पहले वाले आपरेटर्स हैं उनकी 31.7.99 तक जितनी बकाया राशि थी उनकी वन टाइम इंट्री फीस मानी जाएगी। अभी प्रोविजनली 15 परसेंट रेवेन्यू शेयर रखी गई है और बाद में ट्राई के मुताबिक उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये सारे के सारे, दोनों इसके अन्तर्गत आएंगे । जैसा मैंने पहले कहा कि आपने ठीक कहा है।

SHRI KAPIL SIBAL : The hon. Minister may just yield for a second. He has just mentioned that as far as the revenue-sharing aspect is concerned, that is going to be decided by the TRAI. But, Sir, I want to inform the House that there is a matter coming up in the Delhi High Court tomorrow in which the Government has taken the position that the extent of revenue-sharing is outside the jurisdiction of the TRAI. That's the Government's position in the court. You may check it up. And, on the floor of the House, you are saying that as far as the revenue-sharing is concerned, it will be decided by the TRAI, but your representatives are saying just the opposite in the court. We want to know the exact position.

श्री रामविलास पासवान : सर, जैसा सिब्बल साहब कह रहे हैं, मैं इसको देख लूंगा लेकिन सरकार की दो हैसियत हैं। एक सरकार की हैसियत ऑपरेटर की डीओटी एज ए आपरेटर काम कर रहा है और दूसरा प्राइवेट आपरेटर्स काम कर रहा है। हम मान लेते हैं कि जैसे आप रेवेन्यू शेयरिंग में जाएंगे तो उस रेवेन्यू शेयरिंग में आपने दो से ज्यादा आपरेटर मान लिए हैं। उस परिस्थिति में मैं इस बात को, जो

आपने कहा कि एज ए सरकार क्या हैसियत है और एज ए आपरेटर्स क्या हैसियत है, चूंकि आपरेटर्स में कोई भी जा सकता है, तो प्राइवेट आपरेटर भी रहेगा। यदि एक का भी इन्टरेस्ट क्लैश होगा तो दूसरा जा सकता है। इसलिए हम इसको देखने का काम जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि डीओटी के संबंध में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नही है। साल ,छः महीने के अंदर हम डीओटी को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। वह प्राइवेटाइज हो जाएगा। इसलिए डीओटी नाम की संस्था नहीं रहेगी।डिपार्टमेंट आफ टेलिकम्युनिकेशन्स सर्विसेज है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हैसियत भी एक आपरेटर के समान हो जाएगी । लेकिन मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि चाहे वह कार्पोरेशन के रूप में तब्दील हो या किसी और रूप में तब्दील हो, हमारा जो वर्कर का इंटरेस्ट है वह अक्षुण्ण रहेगा उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा । यह मैं आपको सदन के इस फ्लोर पर बताना चाहता हूं । हमारे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जनता को जवाब देना होगा तो हमने जनता को जवाब दे दिया था । डॉ. रणबीर सिंह जी ने कि विलेज टारगेट के संबंध में, क्वालिटी के संबंध में और कस्टमर सेटिसफेक्शन के संबंध में पूछा । मैंने तीनों चीजों के संबंध में बताया था कि डी.ओ.टी. को कार्पोरेशन बनाया जाएगा, यह अब मेरे कहने की जरूरत नहीं है और यह बात हमारे एक माननीय सदस्य ने भी कही थी । कुल मिलाकर 6,07,491 गांव हैं और उनमें अभी तक जिन गांवों में टेलीफोन की सुविधा पहुंची है वे 3,40,640 हैं। 2,66,851 गांवों में अभी तक टेलीफोन की सुविधा नहीं पहुंची है । हमने 1999-2000 के बीच 85,136 गांवों तक टेलीफोन पहुंचाने का टारगेट रखा है जो कि अभी लक्ष्य से काफी दूर है । जिस दिन मैं मंत्री बना उस दिन 3,000 था लेकिन अब बढ़कर 6,000 हो गया है । उसी तरह 2000-2001 तक 70,000 गांव का टारगेट है तथा 2001-2002 तक 95,100 का टारगेट रखा गया है । श्री रणबीर सिंह जी ने बताया कि गांव में टेलीफोन पहुंचाने के लिए प्राइवेट वाले या सेलुलर वाले नहीं जा रहे हैं । उसके संबंध में मैंने बताया है कि यह सेलुलर वालों की जिम्मेदारी नहीं है यह तो डिस्ट्रिक बेसिक ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी है । जहां तक 2000 तक टेलीफोन लाइनों का सवाल है तो

यह लक्ष्य 2000-2002 तक 129 लाख है जिनमें प्राइवेट ऑपरेटर्स को 14 लाख टेलीफोन की जिम्मेदारी दी गई है ।

रामचंद्रैया जी ने कम्पीटीशन की बात कही । आपने सही कहा । हमारा रेवेन्यू शेयरिंग का मुद्दा कम्पीटीशन के लिए ही लाया गया है जिससे अधिक से अधिक कम्पीटीटर पैदा हों क्योंकि जितना अधिक से अधिक कम्पीटीशन होगा उतना ही कस्टमर को फायदा होगा । टेलीफोन का किराया या रेंट भी कम होगा ।

बिसि जी ने बतलाया था कि मिनिस्ट्रियल कमेटी आपकी थी । उसके विषय में मैंने बताया था कि इस कमेटी को क्यों बनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है । टेलीकाम ऐक्ट के संशोधन के संबंध में भी आपने कहा कि इसका संशोधन कब होगा । इसकी आवश्यकता को हमारा कमिटमेंट है, प्रेसिडेंट्स एड्रेस में भी हमने कहा कि हम कुछ बातें इस संबंध में सोच रहे हैं । जहां-जहां इसकी आवश्यकता होगी सरकार इसे करेगी ।

टेलीकोम डिपार्टमेंट के बारे में भी आपने पूछा था तो हमने कहा था कि डी.ओ.टी. का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उसका कार्पोरेटाइजेशन किया जाएगा । डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकाम के बारे में आपने कहा कि हमने उसको बांट दिया है, हां बांट दिया है । अब दो डिपार्टमेंट हैं । एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकाम है जो पोलिसी बनाता है और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकाम सर्विसेज है जो सर्विसज का काम देखता है । मैं समझता हूं कि इससे काम में चुस्ती आएगी और हम कोशिश करेंगे कि एक साल के अंदर, जो हमारा लक्ष्य है उसको कार्पोरेशन में बदलने का, वह पूरा हो जाए ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने टर्नओवर के बारे में चिंता व्यक्त की कि फोरैनर्स इसको टेकओवर कर लेंगे । फोरैनर्स इसका टेकओवर कैसे कर सकते हैं क्योंकि उनकी इक्विटी तो केवल 49 परसेंट की है । श्री विरुम्बी ने चिंता व्यक्त की कि अफसरशाही कार्पोरेशन का विरोध कर रही है परंतु इसमें विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं ।

हमारा 2001 तक का जो कमिटमेंट है उसे हमें पूरा करने का काम करना है । जहां तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सवाल है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी डिपार्टमेंट हो या कस्टमर का फेसिलिटीज की बात हो इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो ।

प्रत्येक दिन हम स्वयं मोनिटरिंग करते हैं । कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन हम रात में कम से कम पांच-सात बार टेलीफोन लगा कर चेक नहीं करते हैं । यह छोटी छोटी बातें हैं, जिसको हम समझते हैं । अभी आज से 9 दिन पहले रात को मैंने टेलीफोन लगाया तो ढाई मिनट तक इन्गेज चला । फिर हमने 197 लगाया और कहा कि मैं रामविलास पासवान बोल रहा हूं, इतनी देर तक टेलीफोन क्यों नहीं उठाया । उन्होंने बताया कि सर दिन में तो ज्यादा इंपलाइज़ होते हैं लेकिन रात में इंपलाइज़ कम होते हैं, वन-थर्ड हो जाते हैं । मैंने उसी समय टेलीकॉम सर्विसेज़ विभाग के सेक्रेटरी को टेलीफोन लगाया, हमने कहा कि कल से इसकी पूर्ति होनी चाहिये । दूसरे ही दिन से हो गया । अब हम टेलीफोन लगाते हैं तो फट से बोलते हैं । अब तो संख्या कम नहीं है । इसलिए मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण कस्टमर्ज़ को परेशानी उठानी पड़ती है । इसलिए हमने जैसे कहा है कि ग्रिवेंसेज़ सेल प्रत्येक स्टेट में है । मैंने कहा है कि सी.जी.एम. हर 15 दिन के अन्दर या एक हफ्ते में प्रेस कान्फ्रेंस करें, पब्लिक की ग्रिवेंसेज़ सुनें और जो भी ग्रिवेंसेज़ हैं, उनका निपटारा होना चाहिये । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने यह आर्डर दे दिया है कि दिसम्बर के अंत तक जितने भी स्टेट हैडक्वार्टर्ज़ हैं, वहां जितने भी लाइनमैन हैं सब को पेजर दे दिया जाए क्योंकि एक जगह पर वह जाता है, वहां से आता है और यदि फिर वहीं जाए तो वह थक कर सो जाता है । अब यदि उसके पास पेजर रहेगा तो उसको वहीं पर ही मालूम रहेगा कि कहां कहां जा कर काम करना है, उसकी रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं । इसलिए मैंने कहा कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, कस्टमर के हित के लिए, वह हम करेंगे । उसमें पैसे की कमी को आगे नहीं आने देंगे । फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने कहा है जितनी मैनपावर हमें चाहिये, उस मैनपावर में हम कोई कटौती नहीं करेंगे

। जहां करना ठीक हो वहां हम करेंगे । लेकिन जहां आवश्यकता है, वहां कम नहीं करेंगे । अब कोई एक्सचेंज बिना आदमी के तो नहीं रखेंगे । इसलिए सर, गांव की बात कही गई । आपने कहा कि गांव में कैसे जाएंगे । गांव में कोई नहीं जाता है । अभी हमने बैठक बुलाई थी जिसमें फिक्की, सी.आई.आई. के लोग, इसके अलावा जितने भी हमारे बिजनेस क्लास के लोग थे जो हमसे और सेलुलर सर्विसेज़ से रिलेटेड थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव दिये । उन्होंने एक बात और भी कही है । यूनीवर्सल फंड के बारे में उन्होंने कहा कि गांव में टेलीफोन घाटे का सौदा हो सकता है, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं । मैं जब रेल मंत्री था और जब मैं रेलवे लाइन गांव में ले जाना चाहता था तो लोग कहते थे कि यह तो घाटे का सौदा है । हमने कहा कि गांव को तुमने बैकवर्ड रखा है और मुझ से कहते हो कि मुनाफा हो । यह नहीं हो सकता है अंग्रेज जब यहां आया था तो वह लोगों को पैसा दे कर चाय पिलाता था और अब हम पैसा दे कर के चाय पी रहे हैं । आप पहले टेलीफोन की सुविधा दे दीजिये, इंटरनेट की सुविधा दे दीजिये, उसके बाद देखिये । क्या गांव का आदमी आर्मी में नहीं है, दूसरी जगह नहीं है ? क्या वह बात नहीं करना चाहता है ? क्या गांव का आदमी बाहर से बात कर के अपने उत्पाद का भाव ठीक प्राप्त नहीं कर सकता है ? अभी हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं, यह सारा का सारा अखबार बासी होता है, पुरानी खबरें पढ़ते हैं । रात को 12 बजे अखबार निकलता है और हम सुबह 6-7 बजे पढ़ते हैं तब तक इंटरनेट पर पूरे संसार के लोग जान लेते हैं कि हिन्दुस्तान में क्या घटना घटी है । इसलिए आज संसार सिकुड़ करके छोटा हो गया है । आज आप अपने गांवों को वर्जित नहीं रख सकते हैं । इसलिए यह जरूरी है। हम जब अमरीका गये थे, हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनवाइट किया गया था । वाशिंगटन में बार बार एक ही चर्चा चल रही थी यूनीवर्सल सर्विसेज़, यूनीवर्सल सर्विसेज़ । हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था कि आप किस यूनीवर्सल सर्विस की बात करते हैं । हमने कहा कि What do you mean by Universal Services ? हमारे यहां इतने लोग सेलुलर ले कर घूम रहे हैं, उससे आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है ? हमने कहा कि आप यूनीवर्सल एक्सेस की बात कीजिये । इनफॉरमेशन ढाबा की बात क्यों नहीं करते हैं ? आप गांव के

ढाबा में लगाइये जिसे आप इनफॉरमेशन ढाबा कहिये, इनफॉरमेशन सेंटर कहिये, इंटरनेट कैफ़े कहिये, क्या क्या शब्द रखे हुए हैं, उसका नाम इंटरनेट ढाबा रखिये ताकि गांव का हर आदमी उसको यूटीलाइज़ कर सके । इसी तरीके से यूनीवर्सल फंड बनाएं जिसके तहत हर गांव में टेलीफोन हम ले जाएं और अगर उसमें घाटा लगे तो उस घाटे को पूरा करने का हम काम करें ।

SHRI VAYALAR RAVI : In which language will it come?

SHRI RAM VILAS PASWAN : Should I speak in English?

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : वे कहते हैं कि देहात वाले अंग्रेजी नहीं जानते वहां किस भाषा में होगा?.. **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवानः इसलिए मैंने "ढाबा" शब्द का प्रयोग किया है। मैंने कहा है कि "इन्फारमेशन ढाबा" शब्द रखेंमे जिससे गांव के लोग उसको समझ सकें। "इन्फारमेशन सेंटर" या "इन्फारमेशन कैफे" नहीं समझेंगे। लेकिन "इन्फारमेशन चाय-ढाबा" सब समझने का काम करेंगे। यह जो हमारी न्यू टेलीकाभ पालिसी, 1999 है उसके तीन मकसद हैं। एक मकसद है कि हम गांव-गांव में टेलीफोन और इंटरनेट का जाल बिछाने का काम करें। दूसरा हमारा है कि जो बेहतरीन से बेहतरीन न्यू टेक्नालाजी है उसका इस्तेमाल करने का काम करें। आज हमारे देश में कहीं चले जाइए, जैसे राजस्थान में जाइए वहां रेगिस्तान है, वहां हम केबुल या आप्टिकल फाइबर कैसे ले जा सकते हैं? आप चले जाइए हिली एरियाज में वहां केबुल नहीं जा सकता है। बाढ़ के इलाके में नहीं जा सकता है। वहां कौन-सी टेक्नालाजी का इस्तेमाल होगा? हम जहां नयी टेक्नालाजी को लाने का काम कर रहे हैं वहीं वर्ल्ड क्लास की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। कस्टमर का सैटिसफैक्शन और गांव में टेलीफोन-विस्तार हमारी नीति का सबसे बड़ा अंग हैं। इसके लिए जो मेन मुद्दा अभी चला है माइग्रेशन का, माइग्रेशन पैकेज का - अपनी लाइसेंस फीस से रेवेन्यू सेविंग की तरफ चले गए हैं - यह उसी दृष्टिकोण को रखते हुए गया है। मैं समझ रहा हूं कि सारे के सारे सदस्य और देश की जनता इसको एप्रीशिएट करने का काम करेगी। हां, जहां कहीं गलत काम होता है, करप्शन होता है जैसे

ट्रांसपेरेंसी की बात है, आपने ठीक कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जहां करप्शन का सवाल है, वह कोई भी करे - बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन जो देश के हित में पालिसी है, उस पालिसी को लागू करके आम लोगों को फायदा देंगे। हम सिर्फ तार नहीं जोड़ते हैं। यह सिर्फ टेलीफोन का तार नहीं जुड़ता है बल्कि एक दूसरे के दिल के तार को भी जोड़ने का हम काम करते हैं। आज आप समझें कि आज हमारा पूरा का पूरा नार्थ इस्ट जो है वहां माइनारिटी के लोग हैं। क्रिश्चियन भाई नार्थ ईस्ट में हैं। हमारा जो पंजाब है वहां सिक्ख लोग हैं। काश्मीर है वहां हमारे मुसलमान भाई हैं। उधर लेह-लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग हैं। घर को बहुत मजबूत बना दीजिए और सारा का सारा हमारा जो बार्डर का इलाका है या घर की चारदीवारी कमजोर हो तो घर कभी मजबूत नहीं होता है। इसलिए सरकार की पालिसी है कि हम दिल के तार को भी जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम यह लाए हैं। इसलिए सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और नीलोत्पल साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस नीति को यहां उठाया और हमको अपनी बात को तथा सरकार के दृष्टिकोण को रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत सदन का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, none of our questions has been answered. The position has become ridiculous. None of our questions has been answered. No figures have been given. आपने यह बोला कि ग्रामीण इलाके में ले जा रहे हैं। पहली अप्रेल से आपकी नीति लागू हुई है। 6 महीने में क्या हुआ है यह बताइए।

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, this is a policy matter. How can I answer specific questions?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): There are two options. We shall start the debate all over again or we shall be satisfied with what has been done.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, it is not a question of discussion. We would like to have a reply from the Government.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Basu, you know what can be done. Now Shri Pramod Mahajan will make a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Y2K Problem in Computers and Computer - Based systems and readiness of the country

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, the Y2K (Year 2000) problem has been receiving the attention of the Government during the years 1998 and 1999. This problem is associated with computer and computer based systems and results from an industry wide practice of representing years with only two digits instead of four (for example, specifying 96 instead of 1996). This practice was widespread from 1960 to 1980, to save disk and memory space when these resources were relatively expensive. When used, these two digits representation can cause the system to interpret the Year 2000 as 1900 and years 2001 and 2002 as 1901 and 1902 respectively. The miscalculation could create serious problems in those date sensitive applications such as reservation systems, ticketing, banking operation and insurance. The Y2K problem is all pervasive for it affects the hardware, software, communication sub-systems and all digital systems having embedded system.

The Government has sensitized all the concerned Ministries/Departments, agencies and organisations in public and private sector about Y2K problem and the need for remedial measures necessary for achieving Y2K readiness. The awareness campaign includes advertisement in newspapers, magazines, television, radio and direct mailers highlighting the impact of Y2K. A facilitation desk and website have been created to disseminate the information about Y2K problem.

An important incentive granted by the Government was provision to provide for deduction in computing the profits and gains of business or profession, of any expenditure incurred, wholly and exclusively to make the existing computer systems Y2K compliant for the year 1999-2000. The Government also permitted the various Ministries, Departments and